

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक

AJ -165-4-16

सर्ग 2015-16

1. भगवानचरन तनय नन्हेभैया कुर्मी निवासीगण ग्राम नदया (बगाईपुरवा) तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म0प्र0

16-1145 14-1-16 Th

ि निगरानीकर्ता

बनाम

की ही . केल मार्क मा

म०प्र० शासन

——— गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के तहत विरुद्ध अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 115/अ—19(4)/ स्व0प्रे0नि0/2005—06 आदेश दिनांक

27.02.2015

50

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्न लिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करते हैं :-

🕧 निगरानी का सारांश :--

यह कि निगरानीकर्ता को संयुक्त रूप से वर्ष 2001 में विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत ग्राम नदया की भूमि खसरा नं0 983 मेसें रकवा 2.000 है0 का भूमि स्वामी पट्टा तहसीलदार राजनगर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/31—19(4)/2000—01 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2001 के द्वारा दिया गया था। बंटन के पूर्व से लेकर आज तक निगरानीकर्तागण उक्त भूमि पर खेती करके काबिज काश्त हैं। अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर द्वारा वर्ष 2014 में निगरानीकर्ता को एक नोटिस दिया गया उक्त प्रकरण वर्ष 2005—06 में पंजीयन होना नोटिस से जानकारी हुई। जिसके संबंध में निगरानीकर्तागण द्वारा अधीनस्थ

क्रमशः / /2//

1/2 1/21/1-212-1 THATE WATER (M. M.)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 165-दो/2016

जिला-छ्तरपुर

	स्थान तथा	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं
	दिनांक		अभिभाषकों
			के हस्ताक्षर
C -	4-16	The second secon	•
6-	T 16,	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा	
	•	यह निगरानी अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा प्रकरण	
		क्रमांक 1 1 5/3I- 1 9(4)/2 0 0 5-0 6	
		निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27.02.2015	
		से परिवेदित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता सन्	
		1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की	
		धारा 50 के तहत पेश की गयी है।	
		2- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत	
		तर्को पर विचार किया गया एवं आवेदक की ओर	
		प्रस्तुत की गयी, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण	
		की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का	
	•	अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन	
		से स्पष्ट है कि आवेदकगण को संयुक्त रूप से	
		वर्ष २००१ में विशेष उपबंध अधिनियम, १९८४	
		के तहत ग्राम नदया की भूमि खसरा नं.983 में	
		से रकवा २.००० है० का भूमिस्वामी पट्टा	
		तहसीलदार राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक	·
		27/अ-19(4)/2000-01 में पारित आदेश	
	·	दिनांक १०.०७.२००१ से दिया गया था। बंदन	
		से पूर्व से लेकर आज दिनांक तक आवेदक का	
_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

उक्त भूमि पर खेती करके कब्जा हैं। अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा आवेदकगण को एक सूवनापत्र दिया गया, जिसका जबाव प्रस्तुत किया एवं बताया कि स्वप्रेरणा निगरानी 180 दिवस के पश्चात् नहीं की जा सकती है। इस संबंध में कई न्यायहृष्टांत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये थे, किन्तु उन पर विचार किये बिना अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा आदेश दिनांक 27. 02.2015 पारित कर आवेदक के पक्ष में तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2001 निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में
मुख्य रूप से यह बताया है कि आवेदक द्वारा
भूमि को उपजाऊ बना लिया गया है, इस हेतु
शारिरिक एवं आर्थिक व्यय किया है ऐसी स्थिति
में अधिक समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव
पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता इस संबंध में
माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं उच्च न्यायालय
के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये है जिसमें अधिक
समय पश्चात् स्वप्ररेणा शक्तियों के प्रयोग को
अयुक्तियुक्त बताया गया है। ऐसी स्थिति में
अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाने
एवं वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का

अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में यह बताया कि लम्बे समय पश्चात स्वप्ररेणा से पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोग को अनुचित नहीं बताया गया है इस हेतु कोई समय सीमा नहीं है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रिथर रखकर वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

3- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं आवेदक की ओर प्रस्तुत की गयी, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के हित में तहसीलदार राजनगर द्वारा विवादित भूमि पट्टा दखल रहित अधिनियम सन् 1984 के तहत ग्राम नदया की भूमि खसरा नं. 983 में भूमि का से रकवा 2.000 है0 भूमिस्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया। आवेदकगण का कब्जा लगभग ३० वर्षो से चला आ रहा है। खसरा की नकल में आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/अ-19(4) /2000-01 में पारित आदेश दिनांक 10.07. 2001 से आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत आदेश पारित किया था, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गरी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा प्रकरण में स्वमेव निगरानी के तहत

विवादित आदेश पारित करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये।

आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया कि लगभग 15 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत स्वप्रेरणा निगरामी की कार्यवाही की गयी है, जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है। जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा एवं विरुद्ध म०प्र० शासन में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जानी चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती हैं"। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय केसेज १९९४ राजवन्द्र बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, एस.सी.सी. ४४ में यह निर्धारित किया गया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जानी चाहिए। माननीच उच्च न्यायालय न्यायाधीश श्री एस.के. गंगेले ने वर्ष २०१३ में २०१३ आर.एन. पृष्ठ ८ में 180 दिन पश्चात् ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, का उल्लेख किया है, अतएव उन्होंने आवेदक को दिया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए। अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर, छतरपुर

R.

द्वारा आवेदक को दिनांक 02.10.1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेव पुनरीक्षण निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 2001 में किया गया है एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गयी है, ऐसी स्थित में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूं, अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूं।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2015 विधि—संगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2001 स्थिर रखा जाता है तथा तहसीलदार, राजनगर को आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में पूर्ववत् अंकित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

एम० के० सिंह)

सदस्य